

अनुबंध I

दावा निपटान प्रक्रिया

किसी सदस्य की मृत्यु पर उसके नामिती / नामितियों को 2,00,000/- रूपये की राशि देय है . व्यक्तिकर को जोखिम कवर वार्षिक नवीकरण तिथि पर उसकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) से 55 वर्ष की आयु पूरी करने तक (समीपवर्ती जन्मदिवस) अर्थात् 55 वर्ष की आयु पूरी करने (समीपवर्ती जन्मदिवस) पर अथवा बैंक खाता बंद करने पर अथवा बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि अपर्याप्तकरहने पर पात्रता समाप्त हो जाएगी.

2,00,000/- रूपये के मृत्युए दावा लाभ का निपटान संबंधित बीमा कंपनी के कार्यालय द्वारा किया जाएगा. निम्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:

नामिती द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

1. नामिती, सदस्य के मृत्युअप्रमाण पत्र के साथ उस बैंक , जिसमें सदस्यकका “बचत बैंक खाता” था जिसके माध्यम से वह पीएमजेजेबीवाई के तहत कवर था, से संपर्क करेगा.
2. नामिती को बैंक अथवा निर्धारित वेबसाइट सहित कोई अन्य निर्धारित स्रोत जैसे बीमा कंपनी की शाखाओं, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्त्रोकेन्द्रों, बैंकिंग कॉरैसपॉण्डेंट्स, बीमा अभिकर्ताओं इत्यादी से दावा फार्म और अदायगी रसीद प्राप्ति करनी होगी . संबंधित बीमा कंपनिया ऐसे सभी स्थास्रों पर फार्मों की व्याख्यक उपलब्धता सुनिश्चित करेगी. फार्म हेतु अनुरोध पर किसी व्यक्ति को इसकी आपूर्ति की मनाही नहीं की जाएगी.
3. नामिती को विधवत् रूप से भरे हुए दावा फार्म , अदायगी रसीद, मृत्युनप्रमाणपत्र के साथ नामिती के बैंक खाते के चेक (यदि उपलब्ध हो) की निरस्त,प्रति अथवा उस बैंक के बैंक खाते का विवरण जिसमें सदस्ये का ‘बचत बैंक खाता’ था जिसके माध्यम से वह पीएमजेजेबीवाईके तहत कवर था/थी का विवरण प्रस्तुत करना होगा.
4. बैंक दावा अनुरोध की जांच करेगा और इसे एलआईसी के पास अग्रेषित करेगा. दावा अनुरोध प्राप्त होने पर एलआईसी दावाकर्ता के बचत बैंक खाते में दावा राशि अंतरित करेगा.

दावा फॉर्म

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना - दावा फॉर्म

(दावेदार और बैंक द्वारा पूरा किया जाना है)

1. योजना का नाम : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
2. पालिसी सं. :
3. बैंक का पूरा नाम और पता :
4. मृतक सदस्या का पूरा नाम :
5. मृतक सदस्या का बचत बैंक खाता सं. :
6. मृतक का आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो) :
7. सदस्यद्वारा योजना में प्रविष्टिकी तिथि :
8. सदस्यकी मृत्यु की तिथि :
9. मृत्यु का कारण :
10. नामिती का नाम* :
11. नामिती के साथ संबंध :
12. नामिती का पता :
13. नामिती का मोबाइल नंबर :
14. आधार नंबर, यदि उपलब्ध हो :
15. नामिती के बचत बैंक खाते का विवरण :

आईएफएफसी कोड : बचत बैंक खाता संख्या. :

हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर हर प्रकार से सही हैं तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उपर्युक्त मृतक सदस्य हेतु दायर किया गया एकमात्र दावा है . हम विधिवत् रूप से निष्पाजदित अदायगी फार्म के साथ सदस्य की **मृत्युप्रमाणपत्र** संलग्नप करते हैं.

* नामिती के नाबालिग होने की स्थिति में, अभिभावक/ नियुक्त व्यक्ति दावा फार्म भर सकता है.

(नामिती* / दावेदार के हस्ताक्षर)

हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सदस्यभपीएमजेबीवाई योजना के अंतर्गत बीमित था और उसकी मृत्यु से पहले की नवीनीकरण तिथि पर उसके बैंक खाते से प्रीमियम नामे किया गया था और (बीमा कंपनी का नाम) को भेज दिया गया था . हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमारे अभिलेखानुसार श्री/ श्रीमती उपरोक्त योजना के अंतर्गत बीमित सदस्यअम्मा/की नामिती हैं.

स्थान _____

तारीख : _____

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर

संलग्नक : मृत्यु प्रमाणपत्र और अदायगी फार्म

पीएमजेबीवाई योजना के अंतर्गत भुगतान हेतु अदायगी रसीद

पॉलिसी सं. :

बैंक का नाम :

मैं / हम _____ इस योजना के अंतर्गत बचत खाता संख्या _____ के तहत श्री / श्रीमती / सुश्री _____ के जीवन पर पॉलिसी के तहत पूर्ण संतुष्टि के साथ अपने सभी दावों की अदायगी हेतु एतद्वारा _____ (बीमा कंपनी का नाम) से 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये केवल) की राशि की प्राप्ति की पावती देता / देती हूँ / देते हैं.

स्थान _____ तिथि _____ माह _____ वर्ष 20

साक्षी : _____

रसीदी टिकट

_____ (नामिती* / दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

नामिती / नियुक्त व्यक्ति (नामिती अवयस्की होने के मामले में) का विवरण :

नाम : _____

मोबाइल नंबर : _____ ईमेल आईडी : _____

आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो) : _____

बैंक खाता सं. : _____

बैंक का नाम : _____ शाखा : _____

पता : _____

आईएफएससी कोड : _____

{निरस्तो चेक की प्रति (यदि उपलब्ध_हो) लगायी जाए}

*यदि नामिती अव्यस्कयहै तो अभिभावक / नियुक्त_ व्यक्ति_ यह फार्म भरेगा.

(नामिती* / दावाकर्ता के हस्ताक्षर)